**विवाह का विघटन के लिए याचिका**

जिला न्यायालय ...............................

वाद सं................... सन .........................

**अबक**  ...............याची

बनाम

**कखग**  ..............प्रत्यर्थी

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का सं0 25) की धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद के लिए एक डिक्री द्वारा विवाह का विघटन के लिए याचिका

**याची निम्नलिखित रूप में प्रार्थना करता है -**

1. एक विवाह .................... में तारीख .................... को पक्षकारों के बीच अनुष्ठापित किया गया। सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किये गये हिन्दू विवाह रजिस्टर/एक शपथपत्र से एक प्रमाणित प्रोद्धरण इसके साथ दाखिल किया जाता है।
2. विवाह के पूर्व विवाह के पक्षकारों का निवास स्थान तथा प्रास्थिति याचिका दाखिल किये जाते समय, जो निम्न थे -

|  |
| --- |
| पति |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| प्रास्थिति |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |
| पत्नी |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| प्रास्थिति |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |

1. विवाह से पति एवम् पत्नी तथा संतानों के रूप में विशिष्टियाँ तथा सहवास का स्थान यदि कोई हो तो दिया जा सकेगा। प्रत्येक शिशु के जन्म की तारीख एवम् स्थान तथा तथ्य चाहे जीवित या मृत।
2. प्रत्यर्थी ................... (धारा 13 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक का यहां अभिवचन

जा सकेगा। तथ्य जिन पर अनुतोष का दावा आधारित बनाया जाता है, वैसे पृथक रूप से कथन किया जाना चाहिए जैसे मामले की प्रकृति अनुज्ञा प्रदान कराया है। यदि जारकर्म अभिवचन किया जाता है तो याची को लगभग उतना अभिकथित कारित किया जा चुकने वाले जारकर्म के कार्यों की विशिष्टियाँ देनी चाहिए जितना की वह कर सकता है। आरोपित वैवाहिक अभिकथन कारित किया जाने के समयों एवं स्थानों के साथ पृथक पैरा में दिया जाना चाहिए। यदि धारा 13(1) के खण्ड (viii) में विनिर्दिष्ट आधार का अभिवचन, तो याचिका इस प्रभाव की याची के शपथपत्र के साथ दिया जाना चाहिए की वह या उसने न्यायिक प्रुथक्करण के लिए डिक्री को पारित करने के एक वर्ष या ऊपर की एक कालावधि के लिए सहवास पुनरारम्भ नहीं किया है या की है।

1. जहाँ याचिका के आधार 13 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट आधार है वहाँ याची को समनुषंगी तरीका नहीं है।
2. जहाँ याचिका का आधार क्रूरता है वहाँ याची ने किसी भी रीति से क्रूरता का दोषमार्जन नहीं किया है।
3. धारा 13 में उल्लिखित कोई अन्य आधार है।
4. याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुरभिसंधि में नहीं प्रस्तुत की गयी है।
5. इस याचिका को दाखिल करने में कोई भी अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुई है।
6. इसका कोई अन्य आधार नहीं है कि क्यों अनुतोष नहीं मंजूर किया जाना चाहिए।
7. किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से विवाह के बारे में कोई भी पूर्व कार्यवाही नहीं हुई है।

या

पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से विवाह के बारे में निम्नलिखित पूर्व कार्यवाहियाँ हो गयी है -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पक्षकारों के नाम  | अधिनियम की धारा के साथ कार्यवाही की प्रकृति  | मामले की सं. एवं तारीख तथा वर्ष  | न्यायालय का नाम एवं अवस्थित  | परिणाम  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. विवाह अनुष्ठापित किया गया। पति एवम् पत्नी इस न्यायालय की साधारण आरम्भिक अधिकारिता के अन्दर .................... में रहते हैं और पति एवम् पत्नी अंतिम बार साथ-साथ रहते थे।
2. अतएव, याची यह प्रार्थना करता है कि याची तथा प्रत्यर्थी के बीच विवाह-विवाह विच्छेद की एक डिक्री द्वारा विघटित कर दिया जाय।

याची

**सत्यापन**

ऊपर नामित किया गया वादी इस सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर यह कथन करता है कि याचिका के पैरा ................. लगायत ................. याची की सर्वोत्तम सूचना एवम् विश्वास में सत्य है।

.................... में इस तारीख .................... को सत्यापित किया गया

स्थान............................. याची